[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 19 अक्तूबर, 2015

अधिसूचना
सं0 42/2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा0का0नि0 (अ)- केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 12/2012 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का. नि. 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) आरंभिक पैरा के द्वितीय परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"परन्तु यह भी कि उक्त सारणी के क्रम सं0 113क के सामने विनिर्दिष्ट मालों को 31 मार्च, 2016 के पश्चात लागू नहीं होगी ।";

(ख) सारणी में, क्रम संख्या 113 और उससे संबंधित प्रविष्टयों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्याक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"113 क	2905 या 3823 11 12	सामान्यतया बायो डीजल के रूप में ज्ञात वनस्पति तेलों से अभिप्राप्त दीर्घ चेन वसा अम्ल का अल्काइल इस्टर के विनिर्माण में	शुन्य	2"।

		उपयोग के लिए निम्नलिखित माल, अर्थात् :- (i) आरबीडी पाल्म स्ट्रीयरिन (ii) मेथानोल (iii) सोडियम मैथाआक्साअड		

(फा.सं.332/13/2015-टीआरयू)

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं0 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 163 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 41/2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 17 सितम्बर, 2015 सा.का.नि. 717(अ), तारीख 17 सितम्बर, 2015 द्वारा किया गया था ।